13

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री परशुराम धानका, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 06/21 (225 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या :–2021/125

उनवान

1. गोकल
2. हरीराम } पुत्र छज्जू जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील डीग।
3. लक्ष्मन
4. मल्लो पत्नी छज्जू
5. श्याम सिंह पुत्र नारायन
6. रतन } पुत्रगण भूपाली जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील डीग।
7. जयपाल
8. उदय सिंह } पुत्रगण मलखान जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील डीग।
9. चरन सिंह
10. पीतम

.....अपीलार्थी/गैरसायलान।

बनाम

1. छीतर } पि0 डालू जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील डीग।
2. गोपी

.....रैस्पो0/सायलान

3. चन्द्रवती पुत्री छज्जू पत्नी गंगी जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम नरी सैमरी तह0 छाता जिला मथुरा उ0प्र0।
4. चंचल पुत्री रघुवीर पत्नी राजा जाति जादौं ठाकुर नि0 हाईवे रेल्वे पुल के पास कोसी कला तह0 छाता जिला मथुरा उ0प्र0।
5. नत्थी पुत्र नारायन
6. मानपाल पुत्र रघुवीर } जाति जादौं ठाकुर नि0 ग्राम अऊ तहसील डीग।
7. पवन पुत्र रघुवीर
8. रूपवती पत्नी रघुवीर

..... रैस्पो0 गैरसायलान।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 27.10.2020 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर डीग उनवानी छीतर बनाम गोकल मु0न0 74/18

उपस्थितिः–

1. वकील अपीलांट श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री मुकेश कुमार एवं प्रवीण चौधरी उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

निर्णय दिनांक :— 28.06.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर डीग के आदेश दिनांक 27.10.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/सायलान द्वारा एक दावा वावत् उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/गैरसायलान व अन्य प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुये दिनांक 29.05.2018 को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी एवं तत्पश्चात वाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश 27.10.2020 से उक्त एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला मूल वाद पुष्ट कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने के कारण अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यो पर गौर नहीं किया कि गत आराजी खसरा नम्बर 2164 व 2165 के 1/2 हिस्सा जिनसे हाल वंदोवस्त में नवीन खसरा नम्बर 227, 229, 2230, 2232, 2238, 2239 बनाये गये हैं के हिस्सा 1/2 की आराजी से रैस्पो0/सायलान व उनके पिता डालू व बाबा लौहरे का कभी भी कोई संवंध किसी प्रकार से नहीं रहा एवं ना उनका उक्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त है। विवादित आराजी शुरू से ही यानि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से अपीलाण्ट/गैरसायलान के पूर्वज दूदे पुत्र सुन्दर की खुदकाश्त व खातेदारी की आराजी थी। अतः राजस्थान जमींदारी एवं विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट के लागू होने पर उक्त दूदे पुत्र सुन्दर को विवादित आराजी पर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया। जिसके बाद से लगातार विवादित आराजी के हिस्सा 1/2 पर उक्त दूदू पुत्र सुन्दर खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड रहा और उसकी मृत्यु के वाद विरासतन इन्द्राज दर्ज होकर हाल राजस्व रिकार्ड में अपीलाण्ट/गैरसायलान के नाम इंद्राज दर्ज होते आ रहे हैं। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का ना तो कोई कब्जा काश्त है एवं ना ही उक्त आराजी पर उन्हें दावा करने का कोई अधिकार हासिल है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश नॉन स्पीकिंग की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में ना तो किसी दस्तावेज साक्ष्य की विवेचना की एवं ना ही प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के विन्दुओं पर ही कोई विवेचना की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल खसरा गिरदावरी के इन्द्राजो के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। परन्तु खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। मियाद के संबंध में उनका निवेदन है कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के वक्त पूरे देश में कोविन 19 के कारण पक्षकारो की अदालतो में उपस्थिति वर्जित थी। जिस कारण अपीलाण्ट अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। अपने वकील साहव से सम्पर्क करने पर उन्हें अपीलाधीन आदेश की जानकारी हो सकी। तत्पश्चात् नकल आदि लेकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

जानकारी की दिनांक 26.02.2021 से अपील मियाद अन्दर प्रस्तुत की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर एसीजे 2014(3) पेज 596, आरएलडब्ल्यू 2010(1) पेज 639, आरआरटी 2012(2) पेज 1439 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है। दूदे और लौहरे खास भाई थे। दूदे बडा था, लौहरे जब मरा तो उसका पुत्र डालू अवयस्क था और दूदे ताऊ होने के कारण उनके संरक्षण में रहा, बाद में डालू भी फौत हो गया और उसके वारिसान छीतर व गोपी हुये। इस प्रकार विवादित आराजी पैतृक हुयी। ढाल वांछ से स्पष्ट है कि 1/4–1/4 दूदे व डालू अंकित हैं। अतः डालू का विवादित आराजी में 1/4 हिस्सा हुआ। खसरा गिरदावरी संवत 2008–11 में खुदकाश्त दूदे व डालू वगै0 दोनों के नाम हैं। दूदे ने कर्ताखानदान होने के कारण अपने नाम करा ली। जबकि राजस्व कर्मचारियो को इस प्रकार इन्द्राज परिवर्तन करने का कोई अधिकार हासिल नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जहॉ तक विवादित आराजी पर कब्जे का प्रश्न है। वह मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य विवेचना उपरान्त तय होगा। विवादित आराजी संयुक्त परिवार की जायदाद है। अतः प्रथम दृष्टया रैस्पो0 का विवादित आराजी में स्वत्व बनता है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने अपील मियाद बाहर पेश की गयी है। अतः मियाद के बिन्दु पर ही अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरटी 2004(1) पेज 590, 2011(2) पेज 802, 2002 पेज 251 का उद्धरण पेश करते हुये, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर विचार किया जाना अपेक्षित है। मियाद के संबंध में अपीलाण्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश पारित होने के कुछ समय बाद पूरे देश में कोविड 19 फैल चुका था एवं इस कारण पक्षकारो की अदालतो में उपस्थिति वर्जित थी। जिस कारण अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। तत्पश्चात् जैसे ही लॉकडाउन खुला अपीलाधीन आदेश की नकल आदि लेकर अपील प्रस्तुत की गयी है। हमने गौर किया। न्यायालय का अस्तित्व पक्षकारो को न्याय उपलब्ध कराना है। वैसे भी अनेको नजीरो में निर्देशित किया गया है कि मियाद जैसे तकनीकी बिन्दु पर उदार दृष्टि अपनाते हुये, क्षमा करना न्यायोचित है। इसके अलावा अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र के खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु को क्षमा करते हुये, अपील अपीलाण्ट सुनवाई हेतु ग्रहण की गयी।

6. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी दस्तावेज की एवं ना ही प्रार्थना पत्र धारा 212 के तीनों घटक की विवेचना की गयी है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर
कैम्प–डीग

प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। प्रकरण में यह तथ्य तो निर्विवाद है कि विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध जमावन्दी संवत 2011–14 में विवादित आराजी दूदे व गंगाशरण की खुदकाश्त में दर्ज है एवं अपीलाण्ट दूदे के वारिस हैं। जिन्हें विवादित आराजी अपने पूर्वजो से जरिये विरासतन प्राप्त हुयी है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि पर अपीलाण्ट का बहुत पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। विवादित आराजी जरिये विरासतन अपीलाण्ट के नाम दर्ज होने से, वाद तैयारी तक विवादित भूमि पर रैस्पो0 के कब्जे पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसी स्थिति में एक काबिज व्यक्ति एवं रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध सरसरी तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति रैस्पो0 के पक्ष में ना होकर अपीलाण्ट के पक्ष में अधिक पुष्ट होती है। रैस्पों0 के अधिकार मूल वाद में विस्तृत साक्ष्य विवेचना से ही तय हो सकते हैं। फिलहाल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तय करते समय रैस्पो0 का पक्ष पुष्ट नहीं है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य समझतें हैं।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.10.20 निरस्त किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा वाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भेजा जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 28.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(परशुराम धनिका)
आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर